

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(1)नविवि/4/2001


दिनांक : 26-03-2014

परिपत्र

दिनांक 19.03.2014 को आयोजित विभागीय ऑडिट कमेटी की बैठक के दौरान प्राधिकरणों/न्यासों में निर्माण कार्यों की समयावधि में वृद्धि (Extension of Time) के प्रकरणों में न्यास/प्राधिकरण स्तर पर समयावधि में वृद्धि के विस्तृत विवरण (Detailed breakup) अंकित न कर कुल समयावधि दर्शाते हुए निर्णय लिये जाने से अवगत कराया गया था। अतः उक्त के संदर्भ में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. समयावधि में वृद्धि प्रकरणों का निस्तारण राज्यहित/कार्यहित में ही किया जाना चाहिए।
2. कार्य निष्पादन में परिहार्य रूप से बाधा पहुंचने पर संवेदक द्वारा समयावधि में वृद्धि का आवेदन बाधाएँ/रूकावट होने के दिनों में ही प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त कारणों का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिसके आधार पर वृद्धि चाही गई है।
3. मुख्य अभियंता या प्राधिकृत अभियंता की राय में बताये गये आधार/कारण उपयुक्त होने पर व समय में इस प्रकार की वृद्धि, जो उसकी राय में आवश्यक या उचित हो, की अनुमति देगा।
4. समयावधि में वृद्धि का कारण राजकीय/कार्यालय से संबंधित होने पर भी उसका पूर्ण विवरण एवं व्यवधान दूर करने के प्रयासों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
5. प्राधिकृत अभियंता द्वारा समयावधि प्रकरण में अनुपातिक प्रगति (Pro-ata Progress) के आधार पर ही समयावधि बढ़ाने की अभिशंषा की जावेगी।
6. पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए. आर. के नियम 331 की टिप्पणी-1 के अन्तर्गत परिशिष्ट 11 में अनुबंध की शर्तें निर्धारित हैं। इन शर्तों के क्लाज 2 में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने पर (Compensation of delay) की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। जिसके अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। उस निर्धारित समय सीमा को चार भागों में बांटा गया है। निर्धारित समय सीमा की 1/4 अवधि में 1/8 काम, 1/2 अवधि में 3/8, 3/4 अवधि में 3/4 एवं पूर्ण अवधि में पूरा काम होना चाहिए। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है तो कार्य पूरा होने के बाद फाइनल बिल पारित करने से पूर्व उक्त फॉर्मूला के अनुसार गणना कर (Compensation of delay) की राशि संवेदक पर अधिरोपित होनी चाहिए।
7. प्राधिकृत अभियंता द्वारा समयावधि प्रकरण में प्रत्येक कार्य दिवस के आधार पर विस्तृत विवरण प्राप्त कर बिल के साथ संलग्न किया जायेगा।
8. प्राधिकृत अभियंता द्वारा समयावधि प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर शास्ती/बिना शास्ती स्वी कृति हेतु अभिशंषा की जावेगी।

अतः समस्त प्राधिकरणों/न्यासों द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्देशों एवं लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियमों का कठोरता से पालन करते हुए समयावधि में वृद्धि के प्रकरणों का निस्तारण करें।


(डी.बी. गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विक स प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
3. समस्त नगर विकास न्यास।
4. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव-द्वितीय
26/3/14